

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: एफ.1 (1) एम.ई./ग्रुप-1/1996/57/8

जयपुर, दिनांक 17/8/2016

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशांषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य, पैथोलोजी के पद पर वेतन श्रृंखला 15800-39100 (ग्रेड-मै रू० 6600/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1 (2) एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 26,200/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1 (2) एफडी/रूल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1*	डॉ० मीनाक्षी राव पुत्री श्री एकज राव क्वार्टर नं. 3/4, डॉक्टरस क्वार्टरस, मेडिकल कॉलेज कैम्पस, शास्त्री नगर, जोधपुर-342003	एम-01	28.08.1983	BC, WE	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
2	डॉ० शिल्पा जालान पुत्री सजन कुमार जालान 1/432, श्वेता गोविन्दम अपार्टमेंट (गणेश मन्दिर के सामने), मौती इंदरी, जयपुर-302004	एम-02	22.09.1984	GE, WE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
3	डॉ० दीप्ती सुखीजा पुत्री श्री ओ.पी. सुखीजा मकान नं. 01, विज्ञान नगर स्पेशल सहारा स्कूल के पास, कोटा-324005	एम-03	19.05.1983	GE, WE	मेडिकल कॉलेज, कोटा
4	डॉ० तरुण शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा 2 बी-15, प्रताप नगर, जोधपुर-342001	एम-04	07.07.1986	GE	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
5	डॉ० प्रतिभा भान पुत्री श्री डॉ.सी. भान, बी-ब्लॉक, जी-04, मंगलम ग्राम्पंड विस्ता, कनक वृन्दावाण, पंचावाला, सिरसी रोड, जयपुर-302034	एम-06	09.11.1981	BC, WE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
6	डॉ० ओमवीर सिंह चौहान पुत्र श्री कानसिंह चौहान, 99, आदर्श नगर, लालसागर, जिला जोधपुर-342026	एम-08	17.04.1984	GE	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
7	डॉ० कल्पना सिंह बेनीवाल पुत्री श्री भार्गव सिंह द्वार श्री मनीष कुमार बेनीवाल, बिहाडी स्टेडियम के पास, सेक्टर नम्बर 5, नौहर जिला हनुमानगढ़	एम-09	29.11.1984	BC, WE	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
8	डॉ० श्वेता अग्रवाल पुत्री श्री दिनेश चन्द्र अग्रवाल, हास श्री सतेन्द्र कुमार गर्ग, 43, गोपाल नगर-ए, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर-302015	एम-11	23.01.1983	GE, WE	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
9	डॉ० अर्पिता सिधवी पुत्री डॉ. अशोक सिधवी सी-173, शास्त्री नगर, एम.डी.एम. अस्पताल के पास, जोधपुर-342003	एम-12	17.03.1983	GE, WE	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
10	डॉ० प्रेरणा चौधरी पुत्री श्री नैनीचन्द्र झाडाडिया नई तहसील के पास, किसान कॉलोनी, झुन्झुनू-333001	एम-14	22.08.1983	BC, WE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
11	डॉ० दिनेश बीलवाल पुत्र श्री राजकुमार बीलवाल, मिस्त्री मोहल्ला, गुलाब बाड़ी, अजमेर-305001	एम-15	12.06.1986	SC	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
12	डॉ० वन्दना यादव पुत्री श्री स्वरूप कुमार मकान नम्बर 11, तुलसी नगर, आनन्द विहार, गली नम्बर 1, टेकरी, उदयपुर-313001	एम-17	20.10.1986	BC, WE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
13*	डॉ० शिल्पा बैरवा पुत्री श्री लालसाम बैरवा मकान नम्बर 144A, लेन नम्बर 10, लक्ष्मण विहार, फेस-02, बुडगांव, (हरियाणा)-12	एम-18	16.05.1984	SC, WE	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
14	डॉ० शशि भूषण टेलर पुत्र श्री सतीश कुमार टेलर, मुकाम पोस्ट बबाई, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू-333501	एम-19	28.03.1986	BC	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
15	डॉ० पूजा कावत मल्लि डॉ. आशिष कुमार 53, गोकूल नगर, बोहरा गणेशजी, उदयपुर-313001	एम-20	04.07.1983	ST, WE	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर

[Handwritten Signature]
17/8/16

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेशना योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैक्रेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

* क्रम संख्या 01 एवं 13 पर अंकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पुलिस सत्यापन के अध्यक्ष रहेगी यदि पुलिस सत्यापन में कोई भी विपरीत टिप्पणी प्राप्त हुई तो उक्त नियुक्ति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्ष निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन है।

आदेश सं. 17/8/16
(भृगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन विशिष्ट सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7 (13)भर्ती/गोपनीय/2012-13/67 दिनांक 24.05.2016 के सन्दर्भ में।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं निम्नत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर।
7. संबन्धित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

17/8/16
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक: एफ.1 (1) एम.ई./गुप-1/1996/5719

जयपुर, दिनांक: 17/8/2016

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य, पैथोलॉजी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रू0 6600/-) में अस्थाई रूप से एक वर्ष के परीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (2)एफ.डी./रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	डॉ० स्वप्ना खण्डेलवाल पुत्री श्री रामजी लाल गुप्ता, गली नम्बर 2, राजा साईकिल कॉलोनी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास, श्रीनगर रोड, अजमेर-305007.	एम-05	26.12.1980	GE, WE	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
2	डॉ० निधि शर्मा / श्री गौरव कुमार मकान नम्बर 15, बी.आर.आई.ए.स. कॉलोनी, चम्बल पावर हाउस के पीछे, हर्षा सड़क, जयपुर-302019	एम-07	18.01.1982	GE, WE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
3	डॉ० मुक्ता मील पुत्री श्री लखन कुमार मील किसान कॉलोनी, नवलगढ रोड, सीकर-332001	एम-10	06.09.1985	BC, WE	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
4	डॉ० सोनल भाटी पुत्री श्री दिलीप भाटी 4, बडी होली मार्ग, दुर्गा रेस्टोरेन्ट के सामने, उदयपुर-313001	एम-13	02.07.1983	SC, WE	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
5	डॉ० बतौलाल मीना पुत्र श्री बिरजू राम प्लॉट नम्बर-12, नर्सिंग एनक्लेव, एस०के०आई०टी० कॉलेज के पास, जयपुरा गांव, जगतपुरा, जयपुर-302017	एम-16	07.07.1980	ST	मेडिकल कॉलेज, अजमेर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।


यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेशान योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैक्रेण्टरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधधीन है।

आदेश से,


(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन विशिष्ट सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7 (13)भेती/गोपनीय/2012-13/67 दिनांक 24.05.2016 के सन्दर्भ में।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर।
7. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव